(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 57/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 14 फरवरी, 2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) कोड 080280 और अध्याय 21 के आईटीसी (एचएस) कोड 2106 90 30 की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 और अध्याय 21 की आयात नीति और नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
08028010	-सुपारी - साबुत	निषिद्ध	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/– रु. प्रति कि. ग्रा. और अधिक हो तो आयात मुक्त है।	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी बशर्ते कि डीटीए बिक्री की कोई अनुमति न हो।
08028020	-सुपारी - टूटी हुई	निषिद्ध	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/– रु. प्रति कि. ग्रा. और अधिक हो तो आयात मुक्त है।	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी बशर्ते कि डीटीए बिक्री की कोई अनुमति न हो।
08028030	-सुपारी पिसी हुई	निषिद्ध	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/– रु. प्रति कि. ग्रा. और अधिक हो तो	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त

मं. सारंगी

				आयात मुक्त है।	100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी बशर्ते कि डीटीए बिक्री की कोई अनुमति न हो।
08028090	-सुपारी - अन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/- रु. प्रति कि. ग्रा. और अधिक हो तो आयात मुक्त है।	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/- रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी बशर्ते कि डीटीए बिक्री की कोई अनुमति न हो।
21069030	-सुपारी उत्पाद जिसे ''सुपारी'' के रूप में जाना जाता है	मुक्त	निषिद्ध	-	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/- रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी बशर्ते कि डीटीए बिक्री की कोई अनुमति न हो।

अधिसूचना का प्रभावः 080280 के तहत प्रशुल्क लाइनों पर लगाया गया न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 251/- रूपये प्रति किलोग्राम से संशोधित करके 351/- रूपये प्रति किलोग्राम किया गया है। आईटीसी (एचएस) 21069030 के तहत सुपारी की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' किया गया है और यदि सीआईएफ मूल्य 351/- रूपये प्रति किलोग्राम या इससे अधिक है तो आयात मुक्त होगा। उक्त शर्तें 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होंगी बशर्ते कि डीटीए बिक्री की कोई अनुमति न हो।

संतोष कुमार सारंगी
14.2.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/43/एएम-01/पीसी-2[क]/ई-1256 से जारी)